



क्षेत्रीय कार्यालय



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल-2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी-270/

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोकसुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती चेतना अग्रवाल पत्नी श्री राजा राम अग्रवाल, खनन पट्टा संख्या 26/2022 ग्राम मुण्डोती द्वारा ग्रेनाईट खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पट्टा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए
1	श्रीमती चेतना अग्रवाल पत्नी श्री राजा राम अग्रवाल, खसरा संख्या 746/643, 916/748, 747/643, 749/643 एवं 917/748	26/2022	2.0433	मुण्डोती	ग्रेनाईट	200356
2	श्री अनिल दुबे	32/2021	1.3256	बांदरसिंदरी	ग्रेनाईट	140112
3	श्री तेजमल प्रजापति	33/2021	1.3057	बांदरसिंदरी	ग्रेनाईट	116284
4	श्री तेजमल प्रजापति	34/2021	1.2709	बांदरसिंदरी	ग्रेनाईट	92602
5	मैसर्स श्री राम ग्रेनाईट	39/2021	1.0176	मुण्डोती	ग्रेनाईट	100010

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 6.9631 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-649364 टीपीए, ग्राम मुण्डोती एवं बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि श्रीमती चेतना अग्रवाल पत्नी श्री राजा राम अग्रवाल, खनन पट्टा संख्या 26/2022 ग्राम मुण्डोती ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।
3. उक्त समूह खनन परियोजनासे सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
5. तहसील-किशनगढ़, जिला-अजमेर।
6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/सामान्य/2023/3755 दिनांक 27.03.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 02/05/2023 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते हैं।

(दीपक तँवर)
पर्यावरणीय अभियंता
एवं क्षेत्रीय अधिकारी